रेरा : निबंधित रियल एस्टेट एजेंट ने खुद का प्रोजेक्ट बनाया तो कार्रवाई

क्यूआर कोड जारी, पारदर्शिता के लिए उठाया गया कदम

सिटी रिपोर्टर | पटना

राज्य के भू-सम्पदा प्रक्षेत्र में और अधिक पारदर्शिता लाने के लिए भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) ने अब सभी निबंधित रियल एस्टेट एजेंटों को क्यूआर कोड जारी कर दिया है। इससे पहले सभी निबंधित परियोजनाओं को क्यूआर कोड दिया जा चुका है। सोमवार से यह व्यवस्था लागू कर दी गई। अब सभी निबंधित एजेंटों को अपने कार्यालय में निबंधन प्रमाणपत्र के साथ-साथ क्यूआर कोड को भी लगाना होगा। अगर वे अपना प्रचार-प्रसार करते हैं, तो उन्हें अपनी निबंधन संख्या के साथ इस कोड को भी प्रदर्शित करना होगा। इस क्यूआर कोड को स्कैन करने पर संबंधित एजेंट की जानकारी उपलब्ध हो जाएगी। रेरा बिहार के अध्यक्ष विवेक कुमार सिंह ने कहा कि प्राधिकरण का उद्देश्य राज्य के भू-सम्पदा प्रक्षेत्र में पारदर्शिता लाना है। कहा कि निबंधित एजेंट सिर्फ रेरा निबंधित प्रोजेक्ट में ही फ्लैट, दुकान अथवा प्लॉट की बिक्री करा सकते हैं। अगर वे इस प्रावधान का उल्लंघन करते हैं, तो उनपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

सर्वे रिपोर्ट के बाद लिया निर्णय रेरा बिहार एवं सारण प्रशासन के संयुक्त सर्वे में यह बात सामने आई है कि कई निबंधित एजेंट गैरकानूनी ढंग से खुद ही प्लॉट डेवलपमेंट की परियोजना बनाकर जमीन की खरीद-बिक्री कर रहे हैं। प्राधिकरण ने यह निर्णय लिया है कि ऐसे एजेंटों पर आपराधिक मुकदमे दर्ज किए जाएंगे। किसी

लोग इस बात का रखें ध्यान

लोगों को यह जानना जरूरी है कि प्रोजेक्ट की निबंधन संख्या BRERAP अक्षरों से शुरू होती है, जबकि एजेंट की निबंधन संख्या BRERAA अक्षरों से शुरू होती है। लोगों के इस बात का ध्यान रखने की जरूरत है कि वो किसी भी परियोजना में फ्लैट, दुकान या प्लॉट खरीदने से पहले उस परियोजना की निबंधन संख्या, जो BRERAP अक्षरों से शुरू होती है। लोगों को इसकी जांच जरूर कर लेनी चाहिए।

प्रोजेक्ट एवं किसी एजेंट का निबंधन दो अलग-अलग बातें हैं। प्रोजेक्ट का निबंधन प्रमोटर करवाते हैं, ताकि वो परियोजना बनाकर फ्लैट, दुकान या प्लॉट की बिक्री कर सकें। एजेंट का काम निबंधित प्रोजेक्ट में फ्लैट, दुकान या प्लॉट खरीद-बिक्री करवाने तक सीमित है। एजेंट अपनी परियोजना नहीं बना सकते हैं।